

परिपत्र

पत्रांक — /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि-अनुभाग/2008-09/देहरादून।

कार्यालय:-आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)

देहरादून:दिनांक: 17-मई-2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-324/XXVII (8)/वित्त/ 2008
दिनांक-14-05-2008, द्वारा (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) में संशोधन
करते हुए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008 प्रेषित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है
कि शासन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून।

पू0प0सं0 501 /दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊ जोन रुद्रपुर।
- 5- एडीशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी
को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने
अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष
/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
- 7- ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से
प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का
कष्ट करें।
- 10- पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रुडकी।

MW

258

21-5-08

- 11- श्री सी0 एस0 बनर्जी वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
- 12- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
- 13- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 14- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 15- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 16- विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।


17/5/2008

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2005) की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 के उपनियम (3), उपनियम (4) के खण्ड (ग), उपनियम (5) तथा उपनियम (14) का प्रतिस्थापन— उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे यहाँ आगे "मूल नियम" कहा गया है के नियम 2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(3) "एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यिक कर" से ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने या तो उसके नाम से या उसके पद के कारण एडिशनल कमिश्नर के कर्तव्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो, अभिप्रेत है और इसमें एडिशनल कमिश्नर (कार्यपालक) और एडिशनल कमिश्नर (अपील) सम्मिलित है।

(4)(ग) किसी सर्किल में करनिर्धारक प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी सर्किल में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा तैनात कोई असिस्टेंट कमिश्नर या उसके द्वारा नियुक्त अथवा तैनात कोई वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(3) "एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यिक कर" से ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने या तो उसके नाम से या उसके पद के कारण एडिशनल कमिश्नर के कर्तव्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो, अभिप्रेत है और इसमें एडिशनल कमिश्नर (कार्यपालक), एडिशनल कमिश्नर (अपील), एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट), एडिशनल कमिश्नर (प्रवर्तन) तथा एडिशनल कमिश्नर (मुख्यालय) सम्मिलित है।

(4)(ग) किसी सर्किल में करनिर्धारक प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी सर्किल में राज्य सरकार द्वारा तैनात कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा नियुक्त अथवा तैनात कोई वाणिज्यिक कर अधिकारी;

(5) "असिस्टेंट कमिश्नर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार ने करनिर्धारक प्राधिकारी के कृत्यों व कर्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो और जिसमें कमिश्नर द्वारा नियुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2 भी सम्मिलित है।

(14) "निरसित नियम" से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 अभिप्रेत है।

(5) "असिस्टेंट कमिश्नर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार ने करनिर्धारक प्राधिकारी के कृत्यों व कर्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो और जिसमें कमिश्नर द्वारा नियुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी भी सम्मिलित है।

(14) "निरसित नियम" से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 की धारा 71 के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 अभिप्रेत है।

3. नियम 3 के उपनियम (4) का प्रतिस्थापन— उक्त नियमावली के नियम 3 में नीचे स्तम्भ-1 दिए गये वर्तमान उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(4) जहाँ किसी सर्किल में एक से अधिक असिस्टेंट कमिश्नर या वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2 हों, वहाँ कमिश्नर उस सर्किल के भीतर, प्रत्येक की सम्बन्धित अधिकारिता अवधारित करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(4) जहाँ किसी सर्किल में एक से अधिक असिस्टेंट कमिश्नर या वाणिज्यिक कर अधिकारी हों, वहाँ कमिश्नर उस सर्किल के भीतर, प्रत्येक की सम्बन्धित अधिकारिता अवधारित करेगा।

4. नियम 4 के उपनियम (5) का प्रतिस्थापन— उक्त नियमावली के नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 दिए गये वर्तमान उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(5) इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन समनुदिष्ट अपने अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार इतने एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2 और ऐसे अन्य अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी। ऐसे अधिकारी उक्त कृत्यों का पूरे राज्य अथवा ऐसी स्थानीय सीमाओं जैसा कि सरकार या कोई प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उन्हें समनुदेशित करे, में पालन करेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(5) इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन समनुदिष्ट अपने अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार इतने एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यिक कर अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी। ऐसे अधिकारी उक्त कृत्यों का पूरे राज्य अथवा ऐसी स्थानीय सीमाओं जैसा कि सरकार या कोई प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उन्हें समनुदेशित करे, में पालन करेंगे।

5. नियम 8 के उपनियम (3) के प्रथम परन्तुक का प्रतिस्थापन— उक्त नियमावली के नियम 8 में नीचे स्तम्भ-1 दिए गये उपनियम (3) के वर्तमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रथम परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान प्रथम परन्तुक

परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी उस कर निर्धारण वर्ष जिससे फीस सम्बन्धित हो के प्रारम्भ होने के बाद विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये रुपये 100/- का विलम्ब फीस जमा करने का समाधानप्रद रूप से सबूत प्रस्तुत करता है, उसको नवीनीकरण फीस जमा करने की तिथि से पंजीयन स्वीकृत कर दिया जायेगा;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रथम परन्तुक

परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी उस कर निर्धारण वर्ष जिससे फीस सम्बन्धित हो के प्रारम्भ होने के बाद विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये रुपये 100/- का विलम्ब फीस जमा करने का समाधान प्रद रूप से सबूत प्रस्तुत करता है तब यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि विलम्ब के पर्याप्त कारण थे तो वह कारणों को दर्ज करने के बाद निर्देशित कर सकता है कि पंजीयन प्रमाणपत्र सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से प्रवृत्त समझा जायेगा।

6. नियम 11 में संशोधन— उक्त नियमावली के नियम 11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

(अ) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में — प्रयुक्त शब्दावली "प्ररूप-31"

(ब) उपनियम (2) में "निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से 15 दिन के भीतर"

(स)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(अ) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में — प्रयुक्त शब्दावली "प्ररूप-31" के स्थान पर "प्ररूप-22" रख दिया जायेगा।

(ब) उपनियम (2) में "निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से 15 दिन के भीतर" के स्थान पर "निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन के भीतर" रख दिया जायेगा।

(स) उपनियम (3) के खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्—

"(घ) प्ररूप-3 के उपाबन्ध-3 में पंजीकृत ब्यौहारियों को की गयी बिक्री के बारे में सूचना।"

7. नियम 13 के उपनियम (6) का प्रतिस्थापन— उक्त नियमावली के नियम (13) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(6) ब्यौहारी जो न तो आयातकर्ता है और न विनिर्माता है, अथवा जो न तो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर से माल आयात करता है और न उसके बाहर माल निर्यात करता है, और जिसने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अधीन प्रकल्पित कर के आरोपण का विकल्प दिया है, के आवर्त का अवधारण पृथक रूप से किया जायेगा और इसके शुद्ध आवर्त की संगणना सकल आवर्त में से अधिनियम की अनुसूची-II (ग) और अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट माल से सम्बन्धित आवर्त को घटाने के बाद की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(6) ब्यौहारी जो न तो आयातकर्ता है और न विनिर्माता है, अथवा जो न तो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर से माल आयात करता है और न उसके बाहर माल निर्यात करता है, और जिसने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अधीन प्रकल्पित कर के आरोपण का विकल्प दिया है, के आवर्त का अवधारण पृथक रूप से किया जायेगा और इसके शुद्ध आवर्त की संगणना सकल आवर्त में से अधिनियम की अनुसूची-II (ग) और अनुसूची-III तथा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, 1957 से सम्बन्धित आवर्त को घटाने के बाद की जायेगी।

8. नियम 16 में संशोधन- उक्त नियमावली के नियम 16 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम 3 (क) के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान परन्तुक

परन्तु यह कि ब्यौहारी 1 अक्टूबर, 2005 को स्टॉक में हस्तागत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का दावा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रस्तुत कर सकेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक

उपनियम 3(क) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "31 दिसम्बर, 2005" के स्थान पर शब्दावली "31 मार्च, 2006" रख दिया जायेगा।

9. नियम 23 के उपनियम (4) का संशोधन- उक्त नियमावली के नियम 23 के उपनियम (4) के अंग्रेजी पाठ में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये उसके वर्तमान परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान परन्तुक

"Provided that no single form shall cover more than one transaction of purchase or sale of more than one assessment year and of value more than rupees five lakhs"

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक

"Provided that no single form shall cover the transactions of purchase or sale of more than one assessment year and of value more than rupees five lakhs"

10- नियम 36 के उपनियम (7) के खण्ड (अ) का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली के नियम 36 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान उपनियम (7) के खण्ड (अ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(अ) वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2 से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; या

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(अ) वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; या

11. नियम 53 एवं नियम 54 का बढ़ाया जाना- उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है के नियम 52 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे; अर्थात्-

53. कर निर्धारक प्राधिकारियों के स्तर से कर सम्परीक्षा:

(1) धारा 25 (8) में प्राविधानित ऑडिट के उद्देश्य से व्यौहारियों का चुनाव निम्न में से किया जायेगा।

(क) ऐसे व्यौहारी जिन्होंने सावधिक विवरणी निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं किया है, या

(ख) जिस मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी व्यौहारी द्वारा दाखिल किसी विवरणी की शुद्धता, उसमें दावाकृत कटौतियां, अथवा अन्य दावा (क्लेम) अथवा घोषित आवर्त से प्रथम दृष्टया संतुष्ट न हो, या

(ग) ऐसे व्यौहारी जो किसी मानदण्ड के आधार पर अथवा रेन्डम चयन के आधार पर कमिश्नर द्वारा चयनित किये जाये, या

(घ) ऐसे व्यौहारी जिसके सम्बन्ध में कमिश्नर को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके अभिलेखों अथवा स्टॉक की विस्तृत स्कूटनी किया जाना आवश्यक है।

(2) कर-सम्परीक्षा करने वाले अधिकारी के द्वारा दिये जाने वाला नोटिस प्ररूप-31 में जारी किया जायेगा।

54. लेखाबहियों की सम्परीक्षा

(1) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 62 की उपधारा (1) में उल्लिखित ऑडिट रिपोर्ट प्ररूप-32 में दाखिल की जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० XXVII(8) / वाणिज्य कर(वैट) / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

C. S. Jaiswal
(सी०एस०जेमवाल)
अपर सचिव, वित्त,

उपाबन्ध-3(प्ररूप-3)

ब्याहारी का नाम एवं पता.....
 उत्तराखण्ड राज्य के भीतर पंजीकृत ब्याहारियों को बिक्री किये गये माल का विवरण, अवधि.....
 से.....तक।

पंजीकृत ब्याहारी जिसको माल बिक्रय किया गया, का नाम एवं पता	क्रेता ब्याहारी की पंजीयन सं० तथा तारीख	बिक्रय बीजक का ब्यौरा					
		क्रमांक	तारीख	माल का विवरण	धनराशि	उद्ग्रहीत कर की धनराशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 प्रास्थिति.....

दिनांक.....

प्ररूप-31
(नियम 53 देखें)

(कार्यालय का नाम व पता)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

.....(व्यौहारी का नाम)
.....(व्यौहारी का पता)
.....(व्यौहारी की पंजीयन सं०)

कारबारी क्रियाकलाप की कर सम्परीक्षा हेतु सूचना

चूंकि मैं संतुष्ट हूँ कि व्यौहारी के रूप में आपके कारबारी क्रियाकलाप की
.....से तक की अवधि के लिए कर सम्परीक्षा करने की
आवश्यकता है,

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप(दिनांक एवं
समय) से(स्थान) पर उपस्थित हों तथा लेखा पुस्तकें एवं
सभी साक्ष्यों (बिक्री बीजकों सहित) जिन पर आप आपके द्वारा दाखिल विवरणियों के समर्थन
में निर्भर करते हैं को प्रस्तुत करें अथवा प्रस्तुत करवाएं, और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित
दस्तावेज प्रस्तुत करें अथवा प्रस्तुत करवाएं:

1.

2.

3.

कृपया अवगत हों कि इस सूचना का आप द्वारा अनुपालन न करने की दशा में आपके
कारबारी क्रियाकलापों की उक्त अवधि की सम्परीक्षा सर्वोच्च न्याय एवं विवेक के आधार पर
पुनः और सूचना दिये बिना सम्पन्न कर दी जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(पद नाम)

(स्थान)

(तारीख)

वाणिज्य कर विभाग

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005)

प्ररूप सं० 32

ऑडिट रिपोर्ट

(नियम 54 देखें)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन ऑडिट रिपोर्ट, उस मामले में जहाँ ब्यौहारी के कारोबार की लेखापुस्तकें किसी अन्य विधि के अधीन ऑडिट की गयी हैं।

मैं/हम रिपोर्ट देते हैं कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के प्राविधानों के अनुसरण में सर्वश्री.....(ब्यौहारी का नाम तथा पता, पंजीयन प्रमाणपत्र सं०.....) का विधिक ऑडिट

मेरे/हमारे/सर्वश्री द्वारा किया गया है और मैं/हम निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी/हमारी/उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध करते हैं:

(अ) को समाप्त होने वाले वर्ष का ऑडिटेड लाभ हानि खाता

(ब) की ऑडिटेड बैलेंस शीट

(स) सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट के भाग के रूप में घोषित अथवा उनके साथ उपाबद्ध दस्तावेज।

मैंने/हमने समस्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण जो कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के अधीन ऑडिट के प्रयोजन से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं तथा वार्षिक विवरणी के सम्बन्ध में ब्यौहारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशिष्टियों तथा उपाबद्ध प्ररूप सं०..... में दी गयी विशिष्टियों के विवरण के सन्दर्भ में सुसंगत अभिलेखों तथा सूचनाओं का परिक्षण कर लिया है।

मेरे/हमारे मत में हमारे द्वारा लेखापुस्तकों के परिक्षण से जैसा प्रकट होता है समुचित लेखापुस्तकें जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) सहित विधि द्वारा अपेक्षित है उत्तराखण्ड राज्य में कारोबार के मुख्य स्थान तथा शाखाओं, यदि कोई हो, में रखी गयी है।

मैंने/हमने ब्यौहारी द्वारा रखे गये बीजकों, वाउचर्स तथा लेखापुस्तकों के सन्दर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, कटौतियों, विलोम कर तथा वापसी के दावों का ऑडिट कर लिया है।

मैंने/हमने अपना/हमारा ऑडिट भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार किया है। ऑडिट में जाँच के आधार पर लेखापुस्तकों तथा प्ररूप सं०..... में घोषणाओं का समर्थन करने वाले सबूतों का परीक्षण शामिल होता है। मैं/हम विश्वास करते हैं कि मेरा/हमारा ऑडिट मेरे/हमारे मत को एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है।

मेरे/हमारे मत में तथा मेरी/हमारी सर्वोच्च जानकारी में तथा मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के प्राविधानों के अधीन उपरोक्त दावे, प्ररूप सं० में दी गयी विशिष्टियों तथा उसके उपाबन्ध इसके साथ उपाबद्ध मेरी/हमारी टिप्पणियों/समुक्तियों के अध्वधीन सत्य एवं सही है।

स्थान

हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट /
कौन्सिलर एकाउन्टेन्ट
सदस्य संख्या सहित।

नोट

1- जो लागू न हो उसे काटियें।

2- यह रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (संशुद्ध एक्ट 38 वर्ष 1949) के अधीन तथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कौन्सिलर एकाउन्टेन्ट एक्ट 1949 (संशुद्ध एक्ट 23 वर्ष 1959) के अधीन तथा परिभाषित कौन्सिलर एकाउन्टेन्ट अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 62 के तर्पटीकरण में तथा परिभाषित समरीक्षण (ऑडिटर) द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

अथवा
उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005)

प्ररूप सं० 32
ऑडिट रिपोर्ट
(नियम 54 देखें)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन ऑडिट रिपोर्ट उस मामले में जहाँ ब्यौहारी के कारोबार की लेखापुस्तकों किसी अन्य विधि के अधीन ऑडिट नहीं की गयी है।

मैंने/हमने इसके साथ संलग्न सर्वश्री.....

(ब्यौहारी का नाम तथा पता पंजीयन प्रमाणपत्र सं० सहित) 31 मार्च.....को समाप्त होने वाले वर्ष की बैलेन्स शीट तथा उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाते का परीक्षण कर लिया है।

मैंने/हमने अपना/हमारा ऑडिट भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार किया है। ऑडिट में जांच के आधार पर लेखापुस्तकों तथा वित्तीय विवरणों में निहित घोषणाओं का समर्थन करने वाले सबूतों का परीक्षण शामिल होता है। मैं/हम विश्वास करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऑडिट मेरे/हमारे मत को एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है। हम रिपोर्ट करते हैं कि—

(i) बैलेन्स शीट तथा लाभ हानि खाता उत्तराखण्ड राज्य में कारोबार के मुख्य स्थल तथा शाखाओं, यदि कोई हो, में रखी गयी लेखापुस्तकों से मेल खाते हैं;

(ii) मेरे/हमारे मत में जैसा कि मेरे/हमारे द्वारा लेखापुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है ब्यौहारी द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) द्वारा निर्धारित समुचित लेखापुस्तकों रखी गयी हैं;

(iii) मैंने/हमने समस्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण जो कि मेरे/हमारे सर्वोच्च जानकारी एवं विश्वास से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 62 के अधीन ऑडिट के प्रयोजन से आवश्यक थे प्राप्त कर ली हैं;

(iv) मेरे/हमारे मत में तथा मेरी/हमारी सर्वोच्च जानकारी तथा मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त हिसाब किताब, उन पर की गयी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ पठित, सत्य एवं स्वच्छ तरवीर प्रस्तुत करते हैं;

(क) बैलेन्स शीट के मामले में 31 मार्च..... के लिये ब्यौहारी के कार्यकलाप की स्थिति तथा

(ख) लाभ हानि खाते के मामले में उस तिथि पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ब्यौहारी के लाभ/हानि की स्थिति।

मैंने/हमने ब्यौहारी द्वारा रखे गये बीजकों, वाउचरों तथा लेखापुस्तकों के सन्दर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, कटौतियों, विलोम कर तथा वापसी के दावों का ऑडिट कर लिया है। मैंने/हमने अपना/हमारा ऑडिट भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत ऑडिटिंग के मानकों के अनुरूप किया है। ऑडिट में जांच के आधार पर लेखापुस्तकों तथा प्ररूप सं०.....में घोषणाओं का समर्थन करने वाले सबूतों का परीक्षण शामिल है। मैं/हम विश्वास करते हैं कि मेरा/हमारा ऑडिट मेरे/हमारे मत को एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है।

मेरे/हमारे मत में तथा मेरी/हमारी सर्वोच्च जानकारी में तथा मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के प्राविधानों के अधीन उपरोक्त दावे, प्ररूप सं०.....में दी गयी विशिष्टियों तथा उसके उपाबन्ध इसके साथ उपाबद्ध मेरी/हमारी टिप्पणियों/समुक्तियों के अध्यक्षीन सत्य एवं सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/
कौस्ट एकाउन्टेन्ट
सदस्य संख्या सहित।

नोट

1- जो लागू न हो उसे काटियें।

2- यह रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (संशुद्ध एक्ट 38 वर्ष 1949) के अधीन तथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कौस्ट एक्ट वर्ष 1949/संशुद्ध एक्ट 23 वर्ष 1949) के अधीन तथा परिभाषित कौस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 62 के स्पष्टीकरण में तथा परिभाषित सम्परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005)

प्ररूप सं० 32

ऑडिट रिपोर्ट

(नियम 54 देखें)

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी

विशिष्टियों का विवरण

भाग 1

सामान्य सूचनाएं

1	ब्यौहारी का नाम	
2	पता कारोबार के मुख्य व्यापार स्थल के टेलीफोन, फैंक्स, ई-मेल आदि सहित	
3	राज्य के भीतर शाखा/शाखाओं, गोदाम/गोदामों एवं निर्माण इकाइयों (यदि कोई हों) का नाम एवं पता	
4	राज्य के बाहर शाखा/शाखाओं, गोदाम/गोदामों एवं निर्माण इकाइयों (यदि कोई हों) का नाम एवं पता	
5	(क) टैक्स आइडेन्टीफिकेशन सं० (टिन) (ख) केन्द्रीय बिक्री कर पंजीयन सं० (सीएसटी नम्बर)	
6	अन्य पहचान (आइडेन्टीफिकेशन) सं० (जैसे कि) (क) आयकर पैन नम्बर (ख) सेन्ट्रल एक्साइज पंजीयन सं० (ग) सर्विस टैक्स पंजीयन सं० (घ) एस एस आई सं० (ङ)आई ई सी कोड सं० (च)	
7	ब्यौहारी की प्रास्थिति (जैसे कि स्वत्वधारी/साझेदारी/कम्पनी/अन्य (यदि कोई हो) विनिर्दिष्ट करें)	
8	वर्ष के दौरान गठन में परिवर्तन (यदि कोई हो)	
9	यदि स्वत्वधारी नहीं है तो साझेदारों, निर्देशकों का नाम, पता तथा उनकी हितबद्धता लिखें	
10	ऑडिट (वित्तीय वर्ष) के अधीन विवरणी की अवधि	
11	कारबार की प्रकृति यथा पुनर्विक्रय/निर्माण/आयातकर्ता/निर्यातकर्ता/संकर्म संविदाकार पट्टाकर्ता (विनिर्दिष्ट करें)	

12	कारबार की प्रकृति में परिवर्तन (यदि कोई हो) का ब्यौरा			
13	(क)रखी गयी लेखापुस्तकों की सूची(कम्प्यूटर सिस्टम में रखी गयी लेखापुस्तकों के मामले में ऐसे कम्प्यूटर सिस्टम से जनित लेखापुस्तकों का उल्लेख करें)			
	(ख) परीक्षण की गयी लेखापुस्तकों की सूची			
	(ग) अपनायी गयी लेखा पद्धति			
	(घ)क्या ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनायी गयी लेखापद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि ऐसा है तो विचलन (डीविेशन) का ब्यौरा			
	(ङ) स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति			
14	बैंक एकाउन्ट्स (कार्यरत) का विवरण			
	बैंक का नाम			
	शाखा			
	खाता सं०			
15	कर्मचारियों की कुल सं०(वैकल्पिक)			
16	वाणिज्य कर कार्यालय से प्राप्त विधिक प्ररूपों की सूची क्रम सं० सहित जो कि वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये (प्ररूप सी, ई-1, ई-11, एफ, एच, प्ररूप 16 आदि अन्य प्ररूप, यदि कोई हो)			
17	वैट/सीएसटी अधिनियम के अधीन वर्ष के अन्त में लम्बित अपीलें तथा पुनरीक्षण, प्राधिकारी के पते, अपील दाखिल करने की तिथि तथा कर निर्धारण अवधि सहित			
18	वर्ष के दौरान उद्ग्रहित अथवा भुगतान की गयी अर्धदण्ड/ प्रतिभूति जमा/कम्पाउन्डिंग फीस का ब्यौरा			
19	दुकान के निरीक्षण का ब्यौरा (वैकल्पिक)			
20	वैट एक्ट की धारा के अधीन किये गये ऑडिट निरीक्षण तथा ऑडिट का ब्यौरा			
21	ऑडिट अवधि के दौरान पंजीयन प्रक्रिया/ नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुपालन / अननुपालन का ब्यौरा			
22	वस्तुएं/माल जिनमें कारोबार किया जा रहा है का ब्यौरा			
	माल का विवरण/नाम	अनुसूचि सं०/ प्रविष्टि सं०	एच एस एन कोड	कर की दर
	(1)उत्पादित तथा विक्रीत माल			
	(2) क्रय तथा विक्रीत माल			
23	कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करें			

भाग-II

अ. निर्माण परिणाम

क	स्टॉक	प्रारंभिक	अन्तिम
	(1)कच्चा माल (प्रत्यक्ष सामग्री)		
	(2)चालू काम		
	(3)उपभोग्य स्टोर (अप्रत्यक्ष सामग्री)		
	(4)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(5)योग (1+2+3+4)		
	(6)धारा..... के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए पात्र प्रारम्भिक स्टॉक के माल की कीमत (केवल संक्रमण वर्ष के दौरान अर्थात् बिक्री कर से मूल्य वर्धित कर का वर्ष)		
ख	माल का क्रय/प्राप्ति एवं नामे नोट सम्यवहार (माल की क्रय वापसी/प्राप्ति वापसी को सम्मिलित करते हुए)	खरीद	नामे नोट सम्यवहार/ वापसी
	(1)राज्य के भीतर क्रय		
	(क)अधोलिखित (ख) के अन्यथा वैट पंजीकृत ब्यौहारियों से/को		
	(ख)समाधान/प्रकल्पिक/बिक्रीकर ब्यौहारियों से/को		
	(ग)अन्य (अपंजीकृत ब्यौहारियों सहित) से/को		
	(घ)योग (क+ख+ग)		
	(ङ)शुद्ध क्रय (क्रय मूल्य नामे नोट मूल्य को घटाने के बाद)		
	(2)अन्तर्राज्यीय क्रय		
	(क)प्रवेश कर की देयता तथा विशेष कटौती के लिए पात्र माल		
	(ख)अन्य		
	(ग)योग (क+ख)		
	(घ)शुद्ध क्रय (क्रय मूल्य नामे नोट मूल्य को घटाने के बाद)		
	(3)अन्तर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति		
	(क)मुख्य कार्यालय		
	(ख)शाखा (शखाएं)		
	(ग)योग (क+ख)		
	(घ)शुद्ध स्टॉक ट्रांसफर		
	(4)(क)आयात देश के बाहर से		
	(ख)शुद्ध आयात (वापसी को घटाने के बाद)		
	(5)(क)अन्य		

	(ख)अन्य शुद्ध (वापसी को घटाने के बाद)		
	(6)योग [ख1(घ)+ख2(ग)+ख3(ग)+ख4(क)+ख5(क)]		
	(7)शुद्ध क्रय का योग [ख1(ड)+ख2(घ)+ख3(घ)+ख4(ख)+ख5(ख)]		
(ग)	प्रत्यक्ष खर्च (प्रत्येक खर्च को विनिर्दिष्ट करें)		
	(क)		
	(ख)		
	योग		
(घ)	योग (प्रारंभिक स्टॉक क5+ख7+घ के अनुसार)		
(ड)	वर्ष के दौरान निर्मित माल की कीमत [घ(-) क 5 के अनुसार अन्तिम स्टॉक]		

ब. निर्मित माल का व्यापारिक परिणाम

		प्रारंभिक	अन्तिम
च	तैयार माल का स्टॉक (निर्मित)		
छ	वर्ष के दौरान निर्मित माल की कीमत (ड के अनुसार)		
ज	वर्ष के दौरान विक्रय किये जाने हेतु माल की कीमत (तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक च+छ के अनुसार)		
झ	तैयार माल का विक्रय/निर्गमन एवं जमा पत्र (क्रेडिट नोट) सम्यवहार (माल की विक्रय वापसी/निर्गमन वापसी सहित)	विक्रय	जमा पत्र सम्यवहार / वापसी
	(1)राज्य के भीतर विक्रय		
	(a)विक्रय		
	(b)शुद्ध विक्रय		
	(2)राज्य के भीतर स्टॉक ट्रांसफर		
	(a)स्टॉक ट्रांसफर		
	(b)शुद्ध स्टॉक ट्रांसफर		
	(3)अन्तर्राज्यीय विक्रय		
	(a) विक्रय		
	(i) "सी"फॉर्म के विरुद्ध विक्रय		
	(ii) "डी"फॉर्म के विरुद्ध विक्रय		
	(iii)अभिवहन(ट्रांजिट) में विक्रय		
	(iv)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(v) योग [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]		
	(vi)कुल शुद्ध अंतर्राज्यीय विक्रय		
	(b)स्टॉक ट्रांसफर 'वाह्य'		
	(i) मुख्य कार्यालय को/से		
	(ii)शाखाओं को/से		
	(iii) योग [(i)+(ii)]		

	(iv) शुद्ध स्टॉक ट्रांसफर		
	(4)(a) देश के बाहर निर्यात		
	(b) शुद्ध निर्यात		
	(5)(a) समझा गया (डीमड) निर्यात विक्रय		
	(b) शुद्ध समझा गया निर्यात विक्रय		
	(6)(a) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(b) शुद्ध अन्य		
	(7) योग [1(a)+2(a)+3(a)(v)+3(b)(iii)+4(a)+5(a)+6(a)]		
	(8) कुल शुद्ध विक्रय/निर्गमन [1(b)+2(b)+3(a)(vi)+3(b)(iv)+4(b)+5(b)+6(b)]		
अ	सकल लाभ		

भाग—III
केवल व्यापारिक कार्यकलाप के लिए

त	स्टॉक	प्रारंभिक	अन्तिम
थ	माल का क्रय/प्राप्ति तथा नामे नोट (डेबिट नोट) सम्यवहार (माल की क्रय वापसी/प्राप्ति वापसी सहित)	क्रय	नामे नोट सम्यवहार
	(1) राज्य के भीतर क्रय		
	(a) अधोलिखित (b) के अन्यथा पंजीकृत वैट ब्यौहारियों से/को		
	(b) प्रशमन (कम्पोजिशन)/समाधान से/को		
	(c) अन्य (अपंजीकृत ब्यौहारियों सहित) को/से		
	(d) योग [(a)+(b)+(c)]		
	(e) शुद्ध क्रय (क्रय मूल्य नामे नोट के मूल्य को घटाते हुए)		
	(2) अन्तर्राज्यीय क्रय		
	(a) प्रवेश कर की देयता तथा विशेष कटौती के लिए पात्र माल		
	(b) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(c) योग [(a)+(b)]		
	(d) शुद्ध क्रय (नामे नोट के मूल्य को घटाते हुए क्रय मूल्य)		
	(3) अन्तर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति		
	(a) मुख्य कार्यालय		
	(b) शाखाएं		
	(c) योग [(a)+(b)]		

	(d) शुद्ध स्टॉक ट्रांसफर		
	(4)(a) देश के बाहर से आयात		
	(b) शुद्ध आयात (वापसी को घटाते हुए)		
	(5)(क) अन्य क्रय		
	(b) अन्य शुद्ध (वापसी को घटाते हुए)		
	(6) योग $\{1(d)+2(c)+3(c)+4(a)+5(a)\}$		
	(7) कुल शुद्ध क्रय		
	$\{1(e)+2(d)+3(d)+4(b)+5(b)\}$		
द	प्रत्यक्ष व्यय (प्रत्येक व्यय को विनिर्दिष्ट करें)		
घ	योग [प्रारंभिक स्टॉक त+थ(7)+द के अनुसार]		
न	विक्रय/तैयार माल का निर्गमन तथा जमा नोट के सम्यवहार (माल की विक्रय वापसी /निर्गमन वापसी सहित)		
	(1) प्रान्त के भीतर विक्रय		
	(a) विक्रय		
	(b) शुद्ध विक्रय		
	(2) राज्य के भीतर स्टॉक अंतरण (ट्रांसफर)		
	(a) स्टॉक अंतरण		
	(b) शुद्ध स्टॉक अंतरण		
	(3) अन्तर्राज्यीय विक्रय		
	(a) प्ररूप "सी" के विरुद्ध विक्रय		
	(b) प्ररूप "डी" के विरुद्ध विक्रय		
	(c) अभिवहन में विक्रय		
	(d) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(e) योग $\{(a)+(b)+(c)+(d)\}$		
	(f) शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय		
	(4) अन्तर्राज्यीय स्टॉक अंतरण		
	(a) मुख्य कार्यालय को/से		
	(b) शाखाओं को/से		
	(c) योग $\{(a+b)\}$		
	(d) शुद्ध स्टॉक अंतरण		
	(5)(a) देश के बाहर निर्यात		
	(b) शुद्ध निर्यात		
	(6)(a) समझा गया निर्यात विक्रय		
	(b) शुद्ध समझा गया निर्यात विक्रय		
	(7)(a) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	(b) शुद्ध अन्य		
	(8) कुल विक्रय/निर्गमन		
	$\{1(a)+2(a)+3(c)+4(c)+5(a)+6(a)+7(a)\}$		
	(9) शुद्ध विक्रय/निर्गमन		
	$\{1(b)+2(b)+3(f)+4(a)+5(b)+6(b)+7(b)\}$		
प	सकल लाभ		

भाग—IV
अन्य विवरण

1. व्यापार स्टॉक में संपरिवर्तित पूंजीगत आस्तियों तथा स्थिर आस्तियों की बिक्री (यदि कोई हो) का विवरण

क्रमांक	पूंजीगत माल/आस्ति का विवरण	अर्जन/क्रय की तारीख	अर्जन/क्रय के समय कीमत	धनराशि जिस पर पूंजीगत आस्तियां व्यापार स्टॉक में संपरिवर्तित की गयी	विक्रय मूल्य (यदि बिक्री की गयी)	कर की दर	कर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. परेषण बिक्री (कनसाइनमेन्ट सेल) का विवरण

(परेषती द्वारा जबकि राज्य के बाहर परेषणकर्ता से माल प्राप्त किया जाये)

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	प्रारंभिक स्टॉक	
2	माल प्राप्त किया गया (अलग-अलग परेषणकर्ता से प्राप्त माल का ब्यौरा)	
3	विक्रय	
4	संग्रहीत कर	
5	कर जिसका प्रेषण किया गया	
6	माल वापसी (परेषती के अनुसार ब्यौरा)	
7	अन्तिम स्टॉक	

3. स्थानान्तरित माल की अधिकारिता का ब्यौरा

क्र०सं०	माल का विवरण	प्राप्त पट्टा भाड़ा	कर की दर	संग्रहीत कर	कर जिसका प्रेषण किया गया
1	2	3	4	5	6

4. पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्यौरा

क्र०सं०	क्रय किये गये पूंजीगत माल का नाम	अनुसूची संख्या तथा प्रविष्टि सं०	क्रय की तारीख	क्रय मूल्य (रु०)			दिया गया इनपुट टैक्स	दिया गया प्रवेश शुल्क	दिया गया क्रय कर (यदि स्थानीय अपेजीकृत ब्यौहारी से किया गया क्रय)	वर्ष के दौरान लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले वर्ष के लिए अंगेनीत किया (रु०)
				स्थानीय क्रय	अन्तर्राज्यीय क्रय	बाहर से आयात					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. यदि किसी मामले में पूंजीगत माल की कीमत निर्धारित सीमा से कम हो											
ख. यदि किसी मामले में पूंजीगत माल की कीमत निर्धारित सीमा से अधिक हो											

5. कार्य संविदा का ब्यौरा (वैकल्पिक)

(क) संविदा की प्राप्तियों

(संविदाकारों के मामले में)

क्र०सं०	विवरण	संविदाओं की सं०	संविदा की कुल धनराशि (रु०)	पिछले वर्ष मार्च, 31 तक संविदा मूल्य की कुल प्राप्त/मुगतान की गयी धनराशि (रु०)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ						जमाकर/कटौती का विवरण	
					कुल धनराशि (रु०)	मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कटौती	कर योग्य टर्नओवर	कर दर	देय कर	टी.डी.एस. के	नक्शों के साथ	कुल
1	1 अप्रैल को लम्बित संविदाएं											
2	वर्ष के दौरान नयी संविदाएं ली गयी											
3	योग (1+2)											
4	31 मार्च को लम्बित संविदाएं											

B की गयी संविदा

(संविदाकार को सम्मिलित करते हुए देने वाला जो उप संविदा देता है)

				वर्ष के दौरान भुगतान					
क्रम सं०	विवरण	दिये गये संविदाओं की सं०	पिछले वर्ष मार्च, 31 तक भुगतान की गयी संविदा मूल्य की कुल धनराशि	कुल रु०	श्रोत पर कटौती के साथ	श्रोत पर कटौती किया गया कर	कर प्रेषण का ब्यौरा		
							धनराशि	प्रेषण (रेमिटेंस) का ब्यौरा	
1	1 अप्रैल को लम्बित संविदाएं								
2	वर्ष के दौरान नयी संविदाएं ली गयी								
3	योग (1+2)								
4	31 मार्च को लम्बित संविदाएं								

"अलग-अलग विवरण उपबद्ध करें जिसमें अलग-अलग संविदा को सम्बन्ध में देने वाले/संविदाकार कार्य की प्रकृति कार्य का आदेश तथा तारीख, संविदा की धनराशि, संविदा प्राप्ति/भुगतान तथा भुगतान किये गये कर का ब्यौरा हो।

भाग-V वित्तीय परिणाम

1. कर के संक्षिप्त परिणाम

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1.	टैक्स क्रेडिट्स	
1.1	माल के स्थानीय क्रय पर भुगतान किया गया इनपुट टैक्स	
1.2	पूँजीगत माल (केवल पात्र धनराशि) पर भुगतान किया गया इनपुट टैक्स	
1.3	भुगतान किया गया क्रय कर (केवल विशेष कटौती के लिए पात्र)	

1.4	भुगतान किया गया प्रवेश कर (केवल विशेष कटौती के लिए पात्र)	
1.5	पूँजीगत माल पर भुगतान किया गया प्रवेश कर (केवल विशेष कटौती के लिए पात्र)	
1.6	जमा नोट सम्यवहारों (विक्रय वापसी सहित) पर कर की धनराशि	
1.7	प्रारंभिक स्टॉक पर टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र कर की धनराशि	
1.8	अन्य, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)	
1.9	योग (1.1 से 1.8)	
1.10	अधिक इनपुट टैक्स (पिछले वर्ष से अग्रणीत) किया गया क्रेडिट (यदि कोई हो)	
1.11	टैक्स क्रेडिट की कुल धनराशि (1.9 से 1.10)	
2	आउटपुट टैक्स	
2.1	देय/संग्रहीत कर विक्रय बीजकों के अनुसार	
2.2	विलोम कर	
2.3	देय क्रय कर	
2.4	नामे नोट सम्यवहारों में टैक्स की धनराशि (क्रय वापसी सहित)	
2.5	अन्य, यदि कोई हो, (विनिर्दिष्ट करें)	
2.6	कुल देय आउटपुट टैक्स (2.1 से 2.5)	
3	देय/क्रेडिट किये जाने योग्य शुद्ध कर (कुल आउटपुट टैक्स-कुल इनपुट टैक्स)	
4	अन्तर्राज्यीय विक्रय पर देय कर	
5	देय/क्रेडिट किये जाने योग्य शुद्ध कर	

2. वापसी के ब्यौरे

क्र०सं०	विवरण	देय धनराशि	वापसी की गयी	शेष बकाया
1	निर्यात पर धारा..... के अधीन			
2	अन्तर्राज्यीय बिक्री पर धारा..... के अधीन			
3	अन्तर्राज्यीय स्टॉक अंतरण पर धारा ... के अधीन			
4	असमायोजित तथा अधिक टैक्स क्रेडिट पर धारा..... के अधीन			
5	योग			

3. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कर/किये जाने वाले कर का विवरण

क्र०सं०	विवरण	देय धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	शेष देय
1	मूल्य वर्धित कर अधिनियम			
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम			
3	प्रवेश कर अधिनियम			

4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
5	योग			
	मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन उप-ब्यौरे			
	(क)पंजीयन शुल्क / नवीनीकरण शुल्क			
	(ख)मूल्य वर्धित कर			
	(ग)क्रय कर			
	(घ)कर का अनधिकृत / अविधिक संग्रह			
	(ङ)जमा प्रतिभूति			
	(च)अर्थदण्ड			
	(छ)निपटान शुल्क			
	(ज)ब्याज			
	(झ)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(ञ)योग			

दाखिल लिखत के ब्यौरे के साथ मासिक भुगतान का अलग-अलग विवरण संलग्न करें

घोषणा

मैं.....(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम).....(ब्यौहारी का नाम तथा पता) के.....(पदनाम) की हैसियत से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी विशिष्टियों मेरे/हमारे सर्वोच्च जानकारी, सूचना एवं विश्वास से सत्य एवं सही हैं और यहाँ दी गयी सभी सूचनाएं हमारी लेखापुस्तकों तथा प्ररूप सं०..... में दाखिल विवरणियों के अनुसार हैं।

स्थान:

नाम

हस्ताक्षर और
पदनाम

तारीख:

(सील)

- नोट:- 1. उक्त कथन ब्यौहारी अथवा मूल्य वर्धित कर नियम के अधीन विवरणी हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. उपरोक्त विशिष्टियाँ ब्यौहारी द्वारा तैयार की जायेंगी तथा प्ररूप सं० के साथ दाखिल की जायेंगी।

सत्यापित: मूल्य वर्धित कर नियम के अधीन प्ररूप सं०..... में ऑडिट रिपोर्ट उपाबद्ध की जाती है।

स्थान:

हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट /
कौस्ट एकाउन्टेन्ट
सदस्य संख्या सहित।

दिनांक:

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 324/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 14 May, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA ANUBHAG-8

NO.324/XXVII(8)/ VITTA/2008

Dehradun :: Dated : 14 May, 2008

Notification

With a view to amend The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005), in exercise of the powers conferred by Section 71 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Act No. 27 of 2005), the Governor is pleased to formulate the following rules.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2008

1. **Short title and Commencement-** (1) These Rules may be called The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005 (Amendment) 2008.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Substitution of sub-rule (3), clause (c) of sub-rule (4), sub-rule (5) and sub-rule (14) of rule 2-** In Rule 2 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as the "Principal Rules", for the existing sub-rule in column-1 the following sub-rule in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1

Present Sub-Rule

(3) "Additional Commissioner of Commercial Tax" means any person appointed by the State Government, either by name or by virtue of his office, to perform the duties and exercise the powers of an Additional Commissioner and includes an Additional Commissioner (Executive) and Additional Commissioner (Appeal).

(c) an Assistant Commissioner of a circle/sector posted by or a Commercial Tax Officer Grade-II

Column-2

Hereby Substituted Sub- Rule

(3) "Additional Commissioner of Commercial Tax" means any person appointed by the State Government, either by name or by virtue of his office, to perform the duties and exercise the powers of an Additional Commissioner and includes an Additional Commissioner (Executive), Additional Commissioner (Appeal), Additional Commissioner (Audit), Additional Commissioner (Enforcement) and Additional Commissioner (Headquarters).

(c) an Assistant Commissioner of a circle/sector posted by the government or a Commercial Tax

appointed or posted by the Commissioner of Commercial Tax to such circle/sector to perform the duties and exercise the powers of an Assessing Authority in such circle/sector ; and

(5) "Assistant Commissioner" means an Assistant Commissioner appointed by the State Government to perform the functions, duties and exercise the powers of an Assessing Authority and includes a Commercial Tax Officer Grade-II appointed by the Commissioner;

(14)"Repealed Rules" means the Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005.

Officer appointed or posted by the Commissioner of Commercial Tax to such circle/sector to perform the duties and exercise the powers of an Assessing Authority in such circle/sector ; and

(5) "Assistant Commissioner" means an Assistant Commissioner appointed by the State Government to perform the functions, duties and exercise the powers of an Assessing Authority and includes a Commercial Tax Officer appointed by the Commissioner;

(14)"Repealed Rules" means the Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005 notified under section 71 of Uttaranchal Value Added Tax Ordinance, 2005;

3. Substitution of sub-rule (4) of rule 3- In Rule 3 the following sub-rule shall be substituted in column-2 for the existing sub-rule (4) in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Sub-Rule

(4) Where there are more than one Assistant Commissioner or Commercial Tax Officer Grade-2 in a circle, the Commissioner shall determine the respective jurisdiction of each within that circle.

Column-2

Hereby Substituted Sub-Rule

(4) Where there are more than one Assistant Commissioner or Commercial Tax Officer in a circle, the Commissioner shall determine the respective jurisdiction of each within that circle.

4. Substitution of sub-rule (5) of rule 4- In Rule 4 the following sub-rule shall be substituted in column-2 for the existing sub-rule (5) in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Sub-Rule

(5) The Government shall appoint as many Additional Commissioners, Joint Commissioners, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, Commercial Tax Officers Grade-2 and such other officers as it thinks fit for the purpose of performing the functions

Column-2

Hereby Substituted Sub-Rule

(5) The Government shall appoint as many Additional Commissioners, Joint Commissioners, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, Commercial Tax Officers and such other officers as it thinks fit for the purpose of

respectively assigned to them by or under these Rules. Such officers shall perform the said functions in whole of the State or within such local limits as the Government or any authority or officer empowered by it in this behalf, may assign to them.

performing the functions respectively assigned to them by or under these Rules. Such officers shall perform the said functions in whole of the State or within such local limits as the Government or any authority or officer empowered by it in this behalf, may assign to them.

5. Substitution of first proviso of sub-rule (3) of rule 8- In Rule 8 the following first proviso shall be substituted in column-2 for the existing first proviso of sub-section (3) in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Proviso

Provided that if the dealer deposits such fee after the commencement of the assessment year to which the fee relates together with a late fee of one hundred rupees for every month of delay or part thereof, his registration shall be renewed from the date he deposits the renewal fees;

Column-2

Hereby Substituted Proviso

Provided that if the dealer deposits such fee after the commencement of the assessment year to which the fee relates together with a late fee of one hundred rupees for every month of delay or part thereof, the Assessing Authority may, on being satisfied that there were sufficient reasons for the delay and after recording his reasons, direct that the registration certificate shall be deemed to have remained in force from the beginning of the relevant assessment year.

6. Amendment in rule 11- In Rule 11 the following sub-rules shall be substituted in column-2 for the existing sub-rules in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Rule

(a) In Hindi version of sub-rule (2) of Rule 11 of the Principal Rules- For the words "प्ररूप-31"

(b) In sub rule (2) of rule 11 of the principal Rules for the words "within 15 days of the commencement of the assessment year"

Column-2

Hereby Substituted Rule

(a) In Hindi version of sub-rule (2) of Rule 11 of the Principal Rules- For the words "प्ररूप-31" occurring therein the words "प्ररूप-22" shall be **substituted**

(b) In sub-rule (2) of rule 11 of the principal Rules for the words "within 15 days of the commencement of the

assessment year" the words "within 45 days of the commencement of the assessment year" shall be substituted.

(c) -----

(c) After clause (c) of sub-rule (3) the following clause shall be added, namely,

"(d) information in Annexure-3 of Form-III." relating to sale made to the registered dealers.

7. Substitution of sub-rule (6) of rule 13- In Rule 13 the following sub-rule shall be substituted in column-2 for the existing sub-rule (6) in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Sub- Rule

(6) The turnover of a dealer who is neither an importer nor a manufacturer, or who neither imports goods from nor exports goods outside the territory of India, and who has opted for Levy of Presumptive Tax under the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act, shall be determined separately and its net turnover shall be computed after deducting from its gross turnover, the turnover in respect of the goods specified in Schedule II-(C) and Schedule-III of the Act.

Column-2

Hereby Substituted Sub-Rule

(6) The turnover of a dealer who is neither an importer nor a manufacturer, or who neither imports goods from nor exports goods outside the territory of India, and who has opted for Levy of Presumptive Tax under the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act, shall be determined separately and its net turnover shall be computed after deducting from its gross turnover, the turnover in respect of the goods specified in Schedule II-(C), Schedule III and of the goods specified in Schedule I on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957.

8. Amendment in rule 16- In Rule 16 the following proviso shall be substituted in column-2 for the existing proviso of sub-rule 3(a) of rule-16 in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1

Present Proviso

Provided that in respect of stock in hand on 1st October 2005, the dealer may be submit his claim for Input Tax Credit upto 31st December 2005.

Column-2

Hereby Substituted Proviso

In sub-rule 3(a) for the words "31st December, 2005" occurring in the proviso the words "31st March, 2006" shall be substituted.

9. Amendment in sub-rule (4) of rule 23- In Rule 23 the following proviso shall be substituted in column-2 for the existing proviso in the English version of sub-rule (4) of Rule 23 in column-1 of the said principal Rules; **namely-**

Column-1
Present Proviso
“Provided that no single form shall cover more than one transaction of purchase or sale of more than one assessment year and of value more than rupees five lakhs”

Column-2
Hereby Substituted Proviso
“Provided that no single form shall cover the transactions of purchase or sale of more than one assessment year and of value more than rupees five lakhs”

10. Substitution of clause (a) of sub-rule (7) of rule 36- In Rule 36 the following clause shall be substituted in column-2 for the existing clause (i) of sub-rule (7) in column-1 of the said Principal Rules; **namely-**

Column-1
Present Rule
(i) any officer not below the rank of Commercial Tax Officer, Grade-II to perform the functions of Departmental Representative before the Joint Commissioner (Appeal); or

Column-2
Hereby Substituted Rule
(i) any officer not below the rank of Commercial Tax Officer, to perform the functions of Departmental Representative before the Joint Commissioner (Appeal); or

11. Insertion of rule 53 and rule 54- After rule 52 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) hereafter referred to as the Principal Rules the following new rules shall be inserted; **namely-**

53. Tax Audit from the level of Assessing Authority

(1) For the purpose of audit under sub-section 8 of section 25 of the Act selection of the dealers shall be made from among the following –

(a) Dealers who have not submitted the periodical return till the last date prescribed for submitting the next return.

(b) In the cases where the Assessing Authority prime-facie is not satisfied with the correctness of any return, deductions or other claims or the turnover declared.

(c) Dealers who are selected by the Commissioner on the basis

of any criteria or random selection.


(d) Dealers in respect of whom the Commissioner has reason to believe that it is necessary to conduct detailed scrutiny of their books of account or stock.

(2) Notice to be given by the officer conducting audit shall be issued in form XXXI.

54. Audit of Accounts

(1) Audit Report mentioned in sub-section (1) of Section 62 of the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 as amended by the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Amendment) Bill, 2008 shall be submitted in Form-XXXii.

BY ORDER


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

Annexure III (Form III)

Name and address of the dealer.....

Statement of sale of goods to registered dealers within the State of Uttarakhand for the period
from.....to.....

Name and address of the registered dealer to whom goods sold	Purchasing dealer's Registration No. and date	Details of Sale Invoice					
		Number	Date	Description of goods	Amount	Tax charged	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature-----
Name-----
Status-----

Date-----

FORM 31

[See Rule 53]

Reference No:

Date:

To

_____ (Name of the dealer)

_____ (Address of the dealer)

_____ (Registration Number of the dealer)

Notice for Audit of Business Affairs

Whereas I am satisfied that an audit of your business affairs as a dealers is required to be undertaken for the period _____ to _____.

You are hereby directed to attend at _____ (place) on _____ (date and time) and produce/cause to be produced the books of accounts and all evidence on which you rely in support of returns filed by you (including tax invoices, if any) and in addition produce or cause to be produce the following documents:

- 1.
- 2.
- 3.

Please take note that in the event of yours failure to comply with this notice; the audit of the business affairs for the instant period would be made to the best of my judgment, without any further notice.

(Signature)

(Designation)

(Place)

(Date)

Department of Commercial Tax

THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX RULES, 2005)

FORM NO.-XXXII

AUDIT REPORT

(See Rule 54)

Audit Report under sub-section (1) of Section 62 of the Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005) in a case where the Accounts of the Business of a Dealer have been audited under any other law.

I/ We have to report that statutory audit of(Name and address of the dealer, Registration Certificate No.) was conducted by me/ us/ M/s in pursuance of the provisions of the Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005) and I /We annex hereto a copy of my/our/their audit report datedalong with a copy each of the:

- (a) audited Profit and Loss Account for the year ended on
- (b) audited Balance Sheet as at.....
- (c) the documents declared by the relevant Act to be a part of, or annexed to, the Profit and Loss Account and Balance Sheet.

I / We have obtained all information and explanations which were necessary for the purpose of the audit under the Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005) and examined the relevant records and information in relation to the particulars furnished by the dealer in respect of the annual return and statement of particulars in Form No annexed.

In my / our opinion, proper books of account as required by law including Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005) have been kept at the principal place of business and branches, if any, in the State of.....so far as appears from our examination of the books.

I / We have audited the claim of input tax credit, output tax, rebates, reverse tax and refunds, with reference to the invoices, vouchers and books maintained by the Dealer.

I / We have conducted my/ our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. An audit includes examining, on a test bases, evidence supporting the amounts and disclosures in Form number I / We believe that my / our audit provides a reasonable basis for my/ our opinion.

In my / our opinion and to the best of my / our information and according to explanations given to me / us, the aforesaid claim put forth under the provisions of Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005), the particulars given in Form numberand the annexure thereto are true and correct, subject to my/our comments / observations annexed hereto.

Place:

Signature

Date:

CHARTERED ACCOUNTANT/
COST ACCOUNTANT

with membership Number

Note:-

1. Delete whichever is not applicable
2. This report shall be signed by a Chartered Accountant as defined under the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act, 38 of 1949) or a Cost Accountant as defined under the Cost and works Accountants Act, 1959. (Central Act, 23 of 1959) or an auditor as defined in explanation of section 62 of The Uttarakhand (The Uttranchal Value Added Tax Act, 2005).

OR
THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX RULES, 2005)
FORM NO.-XXXII
AUDIT REPORT

(See Rule 54)

Audit Report under sub-section (1) of Section 62 of the Uttarakhand (the Uttranchal Value Added Tax Act, 2005) in a case where the Accounts of the Business of a Dealer have not been audited under any other law.

I/We have examined the Balance Sheet as at 31st March....., and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, attached herewith, of M/s.....
.....(Name and address of the Dealer with Registration Certificate number.....)

I/We have conducted my/our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements; I/We believe that my/our audit provides a reasonable basis for my/our opinion. We report that:-

- (i) the Balance Sheet and Profit and Loss Account are in agreement with the books of account maintained at the principal place of business and branches, if any, in the State of
- (ii) in my/our opinion, proper books of account as prescribed by the Value Added Tax Act, have kept by the Dealer so far as appears from my/our examination of the books.
- (iii) I/We have obtained all the information and explanations which, to the best of my/our knowledge and belief, were necessary for the purposes of the audit under the UVAT Act.
- (iv) in my/our opinion and to the best of my/our information and according to the explanations given to me/us, the said accounts, read with notes thereon, if any, give a true and fair view:
 - (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of the Dealer as at 31st March, and
 - (b) in the case of the Profit and Loss Account of the profit/loss of the Dealer for the year ended on that date.

I/We have audited the claim of input tax credit, output tax, rebates, reverse tax and refunds with reference to the invoices, vouchers and books maintained by the Dealer. I/We have conducted my/our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. An audit includes examining, on a test basis, supporting the amounts and disclosures in Form number I/We believe that my/our audit provides a reasonable basis for my/our opinion.

In my/our opinion and to the best of my/our information and according to explanations given to my/us, the aforesaid claims put forth under the provisions of Value Added Tax Act, the particulars given in Form number and the annexure thereto are true and correct, subject to my/our comments / observations annexed hereto.

Place:

Signature

Date

CHARTERED ACCOUNTANT/
COST ACCOUNTANT
with membership Number

Note:-

- 1. Delete whichever is not applicable
- 2. This report shall be signed by a Chartered Accountant as defined under the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act, 38 of 1949) or a Cost Accountant as defined under the Cost and works Accountants Act, 1959, (Central Act, 23 of 1959) or an auditor as defined in explanation of section 62 of The Uttarakhand (The Uttranchal Value Added Tax Act, 2005).

THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX RULES, 2005)
FORM NO.-XXXII
AUDIT REPORT
(See Rule 54)

To,
The Assessing Authority

STATEMENT OF PARTICULARS

PART I

GENERAL INFORMATION

1	Name of the dealer/person	
2	Address with phone, Fax, E-mail etc (of the principal place of business)	
3	Name and Address of Branch(s)/Godown(s)/and manufacturing units (if any) within the State of	
4	Name and Address of Branch(s)/Godown(s)/and manufacturing units (if any) outside the State of	
5	a) Tax identification No. (TIN) b) Central Sales Tax Registration No. (CST No.)	
6	Other identification Nos (such as)	
	a)Income Tax PAN No.	
	b)Central Excise Registration No.	
	c)Service Tax Registration No.	
	d)SSI No.	
	e)IEC Code No.	
	f)	
7	Status of the dealer [such as proprietary/partner ship/company/others- (if any) specify]	
8	Change in the constitution during the year (if any)	
9	if not proprietary, indicate name and address of partners, Directors and their share of interest	
10	Return period under Audit (Financial year)	
11	Nature of business /resale /manufacture / importer/exporter/work contractor / lesser /other (please specify)	

12	Details of change in the nature of business (if any)	
13	(a)List of books of accounts maintained (in case books of accounts maintained in a computer system, mention the books of accounts generated by such computer system)	
	(b)List of books of account examined	
	(c) Method of accounting followed.	
	(d)Whether there has been any change in the method of accounting followed in the immediately preceding year, if so details of deviation	
	(e)Method of valuation of stock.	
14	Particulars of (operating) Bank Accounts	
	Name of Bank	
	Branch	
	Account No.	
15	Total number of employees (optional)	
16	List of statutory forms obtained from the Commercial Tax Office with serial numbers which were used during the year (Form Nos. C, EI, EII,F,H, Form 16 and others, if any).	
17	Appeals and Revisions under VAT/CST Act pending as at the year end with address of the authority, date of filing the appeal and period of assessment	
18	Details of penalty/Security Deposit/Compounding fee/levied or paid during the year.	
19	Details of shop inspection conducted (optional).	
20	Details of Audit Visit and Audit Conducted under section.....of VAT Act.	
21	Details of compliance/Non compliance of Registration procedure/Renewal procedure during the audit period.	
22	Details of the Commodities/Goods dealt with	

	Description/Name of the goods	Schedule No./Entry No.	HSN Code	Rate of tax
	(1)Goods manufactured and sold			
	(2)Goods purchase and sold			
23	Other information (if any) (specify)			

PART II

A. MANUFACTURING RESULT

A.	Stock	Opening	Closing
	(1) Raw materials (Direct Materials)		
	(2) Work in progress		
	(3) Consumables (Indirect materials)		
	(4) Others (Specify)		
	(5) Total (1+2+3+4)		
	(6) Cost of goods in the opening stock eligible to claim input tax credit U/s ... (only during the transition year ie year from sales tax to VAT)		
B	Purchase/Receipts of Goods and Debit Note Transactions (including Purchase>Returns/ Receipt>Returns of Goods)	Purchase	Debit Note transactions/returns
	(1) Purchase intra state		
	(a) From/To VAT registered dealers other than (b) below		
	(b) From/To Compounding/Presumptive/Sales Tax Dealers		
	(c) From/To Others (including unregistered dealers)		
	(d) Total [(a)+(b)+(c)]		
	(e) Net purchase (Purchase value less Debit note value)		
	(2) Purchase Interstate		
	(a) Goods liable to Entry Tax and eligible for special rebate		
	(b) Others		
	(c) Total (a+b)		
	(d) Net purchase (Purchase value less Debit note value)		
	(3) Interstate Stock transfer Receipt		
	(a) Head Office		
	(b) Branch (s)		
	(c) Total (a+b)		
	(d) Net stock transfer		
	(4)(a) Import from outside the Country		
	(b) Net import (less return)		
	(5)(a) Others.		
	(b) Others-Net (less-return)		
	(6) Total [B1(d)+B2(c)+B3(c)+B4(a)+B5(a)]		

	(7)Total Net Purchases [B1(e)+B2(d)+B3(d)+B4(b)+B5(b)]		
C.	Direct Expenses (specify each expenses)		
	(a)		
	(b)		
	Total		
D.	Total (Opening stock as per A5+B7+D)		
E.	Cost of Goods manufactured during the year [D(-) closing stock as per A5		

B. TRADING RESULTS OF MANUFACTURED GOODS

		Opening	Closing
F	Stock of Finished goods. (Manufactured)		
G	Cost of goods manufactured during the year (same figures as per E)		
H	Cost of goods meant for sale during the year (opening stock of finished goods as per F+G)		
I	Sales/Issue of finished goods and credit note transactions (including sales returns/Issue returns of Goods)	Sales	Credit Note Transactio ns/returns
	(1)Sales Intra State		
	(a)Sales		
	(b)Net sales		
	(2) Intra State stock transfer		
	(a) stock transfer		
	(b) Net stock transfer		
	(3) Sales Inter State		
	(a)Sales		
	(i)Sales against "C" Forms		
	(ii)Sales against "D" Forms		
	(iii)Sales in transit		
	(iv)Others (specify)		
	(v)Total [(i)+ (ii)+ (iii)+ (iv)]		
	(vi)Total net interstate sales		
	(b)stock transfer out wards		
	(i)To/From Head Office		
	(ii) To/From Branches		
	(iii) Total [(i)+ (ii)]		
	(iv)Net stock transfer.		
	(4)(a)Exports to outside the country		
	(b) Net export		
	(5)(a)Deemed export sale.		
	(b) Net deemed export sale.		
	(6)(a)Others (specify)		

	(b) Net-others		
	(7)Total [1(a)+2(a)+3(a)(v)+3(b)(iii)+4(a)+5(a)+6(a)]		
	(8)Total Net Sales/issues. [1(b)+2(b)+3(a)(vi)+3(b)(iv)+4(b)+5(b)+6(b)]		
J	Gross profit		

**PART III
FOR TRADING ACTIVITY ONLY**

		Opening	Closing
k	Stock		
L	Purchase/Receipt of Goods and Debit Note transactions (including purchase/returns/receipt returns of goods)	Purchase	Debit Note transactions
	(1)Purchase Intra state		
	(a)From/To VAT Registered dealers other than (b) below		
	(b)From/To Compounding/Presumptive/Sales Tax Dealers		
	(c)From/To Others (including unregistered dealers)		
	(d)Total [(a)+(b)+(c)]		
	(e)Net purchase (Purchase value less Debit note value)		
	(2)Purchase Interstate		
	(a)Goods liable to entry tax and eligible for special rebate		
	(b)Others (specify)		
	(c) Total (a+b)		
	(d)Net purchase (Purchase value less Debit note value)		
	(3)Inter State Stock transfer receipts		
	(a)Head Office		
	(b)Branches		
	(c) Total [(a+b)]		
	(d)Net stock transfer		
	(4)(a)Imports from outside the Country		
	(b)Net import (less return)		
	(5)(a)Others Purchase		
	(b)Others-Net (less-return)		
	(6)Total [1(d)+2(c)+3(c)+4(a)+5(a)]		
	(7)Total Net Purchase [1(e)+2(d)+3(d)+4(b)+5(b)]		
M	Direct Expenses (specify each expenses)		
N	Total (Opening stock as per K+L(7)+M)		

O	Sales/Issue of finished goods and credit note transaction (including sales returns/Issue returns of Goods)	Sales	Credit Note Transactions/returns
	(1) Sales Intra State		
	(a) Sales		
	(b) Net sales		
	(2) Intra State stock transfer		
	(a) stock transfer		
	(b) Net stock transfer		
	(3) Sales Inter State		
	(a) Sales against "C" Forms		
	(b) Sales against "D" Forms		
	(c) Sales in transit		
	(d) Others (specify)		
	(e) Total [(a)+ (b)+ (c)+ (d)]		
	(f) Net interstate sales		
	(4) Inter State stock transfer		
	(a) To/From Head Office		
	(b) To/From Branches		
	(c) Total [(a)+ (b)]		
	(d) Net stock transfer.		
	(5)(a) Export to outside the country		
	(b) Net export		
	(6)(a) Deemed export sale.		
	(b) Net deemed export sale.		
	(7)(a) Others (specify)		
	(b) Net-others		
	(8) Total sales/issues. [1(a)+2(a)+3(e)+4(c)+5(a)+6(a)+7(a)]		
	(9) Net sales/issues. [1(b)+2(b)+3(f)+4(d)+5(b)+6(b)+7(b)]		
P	Gross profit		

PART IV OTHER STATEMENTS

1. Statements of Capital Assets Converted into stock in trade and sale of fixed assets (if any)

Sl.No.	Description of Capital goods/Assets	Date of acquisition /purchase	Cost at the time of acquisition purchase	Amount at which the capital assets is converted into stock in trade	Sale value (it sold)	Rate of tax	Tax	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	

2. Statement of Consignment sales

(By the consignee where the goods are received from the consignor outside the state)

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Opening Stock	
2	Goods received (consignor wise details)	
3	Sales	
4	Tax collected	
5	Tax remitted	
6	Goods returned (consignor wise details)	
7	Closing stock	

3. Statement of Transfer of Right to Use Goods

Sl.No.	Description of goods	Lease rentals received	Rate of tax	Tax collected	Tax remitted

4. Statement of input tax credit on capital goods

Sl.No.	Name of the Capital Goods purchased	Schedule, No & Entry No.	Date of Purchase	Purchase Value (Rs.)			Input tax paid on	Entry tax paid on	Purchase tax paid (it purchased locally from un registered dealers)	Input tax credit availed during the year	Balance Input tax credit carry forwarded to next year (Rs.)
				Local Purchase	Inter State Purchase	Import from outside the					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. In the case of capital goods where the value is below the limit prescribed											
B. In the case of capital goods where the value is above the limit prescribed											

5.Statement of Details of Work Contract** (Optional)

(A) Contract receipts

(In the case of contractor)

Sl.No.	Particulars	No. of Contracts	Total Amount of contract value (Rs.)	Total amount of contract value received /paid upto 31 st March previous year	Total Amount (Rs.)	Deduction as per the VAT Act.	Taxable T.O.	Tax Rate	Tax Due	Receipts during the year		
										Tax Remittance deductions		
										By T.D.S.	Along with returns	Total
1	Pending contracts as on 1 st April											
2	New Contract under taken during the year											
3	Total (1+2)											
4	Contracts pending as on 31 st March											

(B) Contract awarded

(In the case of an awarder including a contractor who awards sub contract)

					Payments during the year					
									Tax Remittance Details	
Sl.No.	Particulars	No. of Contracts awarded	Total Amount of contract value (Rs)	Total amount of contract Value paid up to 31 st March previous year	Total (Rs)	With TDS	Without TDS	Tax Deducted at source	Amount	Remittance Details
1	Pending contracts as on 1 st April									
2	New Contract under taken during the year									
3	Total (1+2)									
4	Contracts pending as on 31 st March									

***Annex separate statements containing the details of awarder/contractor, nature of work, work order and date, contract amount, contract receipt payments and tax paid of individual contracts.*

PART V FINANCIAL RESULTS

1. Summary Results of Tax

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Tax Credits	
1.1	Input tax paid in local purchase of goods	
1.2	Input tax paid on capital goods (Eligible amount only)	
1.3	Purchase tax paid (Eligible for special rebating only)	
1.4	Entry tax paid (Eligible for special rebating only)	

1.5	Entry tax paid on capital goods (Eligible for special rebating only)	
1.6	Tax amount on credit note transaction (including sales return)	
1.7	Tax amount eligible for tax credit on opening stock (During the transition year only)	
1.8	Others if any (Specify)	
1.9	Total (1.1 to 1.8)	
1.10	Excess input tax (Credit carried forward from previous year) (if any)	
1.11	Total amount for tax credits ((1.9+1.10))	
2.	Output tax	
2.1	Tax due/collected as per sales invoice	
2.2	Reverse Tax	
2.3	Purchase tax due	
2.4	Tax amount on debit note transactions (including purchase returns)	
2.5	Others if any (Specify)	
2.6	Total Output tax due (2.1 to 2.5)	
3	Net tax payable/creditable (Total of output tax – Total of input tax)	
4	Tax due on interstate sales	
5	Net tax payable/creditable	

2. Details of Refunds

Sl.No.	Particulars	Amount Due	Refund effected	Balance outstanding
1	On Export U/s			
2	On Inter State U/s			
3	On inter state Stock Transfer U/s			
4	On unadjusted & Excess tax credit U/s			
5	Total			

3. Statement of taxes etc paid/payable during the year**

Sl.No.	Particulars	Amount payable	Amount Paid	Balance Payable
1	VAT Act			
2	CST Act			
3	Entry Tax Act			
4	Others (Specify)			
5	Total			
	Sub Details Under VAT Act			
	a)Registration tax/Renewal Fee			
	b)VAT			
	c)Purchase Tax			

	d)Unauthorized/Illegal collection of tax			
	e)Security Deposit			
	f)Penalty			
	g)Settlement Fee			
	h)Interest			
	i)Others (Specify)			
	j)Total			

***Attach separate statement of month wise payments with details of instruments submitted.*

DECLARATION

I (Name of the authorized signature) in my capacity as(designation) of(name & Address of the dealer) do hereby declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and all information furnished here are in accordance with our books of accounts and the returns submitted as per Form number.....

Place

Name
Signature & Designation

(Seal)

- Note:- 1.The above statement shall be signed by the dealer or the person authorized to sign the return under the Value Added Tax Rules
2. The above particulars shall be prepared by the dealer and submitted along with form No.....

Verified. The Audit report in Form No under the Value Added Tax Rules is annexed.

Place

Signature
Chartered Accountant/
Cost Accountant with Member Ship No.

Date

Notes

Quantitative particulars of principal items shall be given separately in a suitable format.